<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री विवेक रंजन सिन्हा, 17, सुलभपुरम्, सिकन्दरा मथुरा रोड, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**59 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जी0 डी0 गोयल, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-59 / 11, दिनांक 14.06.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **फ्रेश मशरुम** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री जी0 डी0 गोयल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा फ्रेश मशरुम की खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है तथा फ्रेश मशरुम एक तरह की vegetable है तथा इस पर कोई करदेयता नहीं होनी चाहिए। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय एवं कई अन्य निर्णयों का सन्दर्भ इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि फ्रेश मशरुम एक प्रकार की vegetable है। यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-19 में फ्रेश मशरुम वर्गीकृत है। अत: उनके द्वारा बेचे जा रहे फ्रेश मशरुम पर कोई करदेयता vegetable होने के कारण नहीं होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-19 निम्नवत है :-

19	Fresh vegetables and fresh fruits including **fresh mushroom**, potato, onion, garlic and ginger; fresh cane juice and fresh fruit juice other than those sold in sealed or tinned container or in hotels and restaurants.

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन के पत्रांक-1390, दिनांक 18.07.11, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, आगरा सम्भाग-बी के पत्र संख्या-767, दिनांक 11.07.11 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-16, आगरा के पत्र संख्या-258, दिनांक 05.07.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार फ्रेश मशरुम तरकारी नहीं है तथा ECONOMICS TIMES द्वारा मशरुम के भाव vegetable की श्रेणी में मानने से अथवा यूनाइटैड डिपार्टमेन्ट आफ एग्रीकल्चर द्वारा उक्त को सब्जी मानने से मशरुम की करदेयता पर फर्क नहीं पड़ता है।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-19 में फ्रेश मशरुम वर्गीकृत है। अत: **फ्रेश मशरुम** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-19 में आने के कारण इस पर कोई करदेयता नहीं बनती है।

......2

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2011

ह0 / 24.10.2011

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।